उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0 सी-94 /वसूली कार्यक्रम/2017-18 दिनांकः - 16-8-17

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- वसूली कार्यक्रम 2017-18

जैसा कि आप अवगत है कि उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के कृषकों को कृषि तथा अन्य सम्बन्धित प्रयोजनों हेतु ऋण वितरण की सुविधा विगत 57 वर्षो से उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीणों को उक्त ऋण की निरन्तरता बनी रहे इस के लिए यह आवश्यक है कि बैंक द्वारा वितरित ऋणों की वसूली नियमित समय से होती रहे।

बैंक द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋणों हेतु नाबार्ड तथा अन्य संस्थाओं से पुर्नवित्त प्राप्त किया जाता है तथा निजी संसाधनों से भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसकी अदायगी बैंक को नियमित तिथि को निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज सहित किश्त की अदायगी करनी होती है। अतः बैंक ऋण की उपलब्धता बनाये रखने हेतु आवश्यक है कि बैंक के अशोध्य ऋणों में उत्तरोत्तर न्यूनता बनी रहें। बैंक के अशोध्य ऋणों के प्रतिमानों के अनुरूप न्यूनतम स्तर बनाये रखने हेतु ऋणी सदस्यों एवं बकायेदारों से प्रभावी वसूली किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

विगत सहकारी वसूली वर्ष 2016-17 में बैंक के वसूली अभियान को गति प्रदान करने हेतु प्रयास किया गया तथा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से बैंक की शाखाओं को विभिन्न प्रकार के निर्देश दिये गये परन्तु सघन प्रयासों के बावजूद भी प्रदेश स्तर पर वसूली मात्र 14.27 प्रतिशत रही जो कि गत वर्ष से वसूली अनन्तिम रूप से रू0 244.15 करोड़ से पीछे रही, **उक्त स्थिति किसी भी व्यवसायिक संस्था के वित्तीय हितों के प्रतिकूल है।**

उक्त स्थितियों के दृष्टिगत हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके अथ्क, नियमित तथा निरन्तर प्रयास से बैंक वित्तीय संकट से उबरकर अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होगा। वसूली कार्यक्रम को सफल बनाने एवं उसे उत्तरोत्तर गति प्रदान करने व शत-प्रतिशत अनुपालनार्थ के उद्देश्य से वर्ष 2017-18 हेतु अधोलिखित दिशा-निर्देश प्रसाारित किये जाते हैं-

1. सर्वप्रथम 30 जून 2017 के डी0सी0बी0 रजिस्टर के आधार पर **एक लाख से बड़े बकायेदार, शून्य वसूली वाले बकायेदारों एवं ऐसे बकायेदार जिन्होनें बैंक में बंधक रखी भूमि को बेच दिया है,** को चिन्हित करते हुए उनकी सूचना बकाया धनराशि के अवरोही क्रम (Decending Order) में तैयार कर लिया जाए तथा सभी फील्ड कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारियों को अपने क्षेत्र के एक लाख से बड़े बकायेदारों, शून्य वसूली वाले बकायेदार एवं ऐसे बकायेदार जिन्होनें बैंक में बंधक रखी भूमि को बेंच दिया है, का कर्मचारीवार लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाय, तथा सभी फील्ड कर्मचारी उपरोक्त बकायेदारों का विवरण रजिस्टर पर अलग सूचीबद्ध कर लें।

2. सहकारी देयों की वसूली का मूल मंत्र **तकादा** है, इसलिये अति आवश्यक है कि शाखा के प्रत्येक बकायेदार से अधिक से अधिक तकादे किये जायें। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि शाखा के अधिकांश कर्मचारियों के मध्य वसूली हेतु क्षेत्र का आवंटन अवश्य कर दिया जाय। शाखा के सभी कार्मिक अपना-अपना तकादा रजिस्टर रखेगे तथा जिस बकायेदार से सम्पर्क करेंगे, उसका स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि किस दिन बकायेदार पैसा जमा करने का वायदा किया है तथा जिस दिन वायदा किया हो, उस

दिन बकायेदार से सम्पर्क अवश्य किया जाय और यह सम्पर्क तब तक किया जाय तब तक उसका पैस जमा न हो जाय।

3. बैंक के एन0पी0ए0 में अत्यधिक कमी लाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है, जिसके लिए विशेष रूप से उपमानक (Sub standard) तथा संदिग्ध-3 (Doughtful-3) श्रेणी के खातों पर विशेष ध्यान देते हुए, इनकी शत्-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करायी जाय क्योकि वार्षिक संन्तुलन पत्र तैयार करते समय उक्त श्रेणियों से सम्बन्धित खातों हेतु सबसे ज्यादा प्रावधान करना पड़ता है। अतः ऐसे ऋण खाते जो नई मांग लगने के बाद वसूल न होने के कारण पहली बार बकाया हुआ है, जिसे नया बकाया कहा गया है, उनकी शत-प्रतिशत वसूली प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाय।

4. गत वर्ष की भांति श्रेणीवार बकायेदारों यथा- ऐसे ऋण ग्रहीता जिन्होने बैंक पक्ष में बन्धक रखी अपनी भूमि को बेंच दी हो, एन0पी0ए0 के श्रेणियों में सूचीबद्ध खातें जिनमें ऋणी द्वारा ऋण लेने के उपरान्त कोई भी धन न जमा किया हो अर्थात इन खातों में वसूली शून्य हो, शासकीय योजनाओं में वितरित ऋण का बकायेदार तथा विवादित/न्यायालय में विचाराधीन ऋण खातों, यदि कोई ऐसे हों तो उनको चिन्हित करते हुए इन खातों की वसूली हेतु अधोलिखित कार्यवाही अलग से सुनिश्चित की जाय-

   (क)- ऐसे कृषक जिन्होने अपनी बन्धक ग्रस्त भूमि बेच दी है, विवादित ऋण खाते तथा न्यायालय में विचाराधीन ऋण खातों की **वसूली का दायित्व पूर्णरूप से शाखा प्रबन्धक का होगा**। इन खातों पर विशेष ध्यान देते हुए नियमानुसार सुसंगत कार्यवाही अमल में लायी जाय।

   (ख)- शाखा के ऐसे ऋणी कृषकों/बकायेदारों को चिन्हित किया जाय जिनके ऋण खाते एन0पी0ए0 की श्रेणियों में सूचीबद्ध है तथा इन ऋण खातों में ऋण लेने के उपरान्त कोई भी धन न जमा किया हो अर्थात इन खातों में वसूली शून्य हो उन खातों में सघन अभियान चला कर कर्मचारीवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए वसूली सुनिश्चित की जाय।

5. वसूली के सम्बन्ध में दाखिल हुए कोर्ट केस के मामलों में कोर्ट का आदेश बाधक न होते हुए भी वसूली की कार्यवाही नहीं की जाती है। अतः ऋण वसूली से सम्बन्धित कोर्ट के प्रकरणों का विस्तृत विवरण एक रजिस्टर पर दर्ज किया जाय तथा कोर्ट के प्रत्येक आदेश का अध्ययन कर यह सुनिश्चित करें कि प्रश्नगत मामलों में वसूली की कार्यवाही हो सकती है अथवा नहीं तथा किन मामलों में वसूली स्थगित रखी जायेगी। यदि वसूली कार्यवाही स्थगित है तो स्थगन आदेश कब तक प्रभावी है, इस प्रकार के संदर्भों के **अनुश्रवण का दायित्व शाखा प्रबन्धक का होगा।** उक्तानुसार कोर्ट केस के प्रकरणों की शाखावार सूची की एक-एक प्रति सम्बन्धित जनपद एवं मण्डल पर एक रजिस्टर पर अंकित करते हुए रखी जाय तथा **एक प्रति मुख्यालय के विधि अनुभाग को अवश्य प्रेषित किया जाय।**

6. एक लाख से बड़े बकायेदारों की वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा एल0डी0बी0 एक्ट, सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। शाखा के समस्त 1.00 लाख से बड़े बकायेदारों से वसूली का दायित्व शाखा प्रबन्धक को 50 प्रतिशत, फील्ड स्टाफ को 25 प्रतिशत तथा अवशेष स्टाफ को 25 प्रतिशत पूर्व निर्गत परिपत्र संख्या 38001-04/वसूली/2017-18 दिनांक 1.4.2017 के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जिसकी कर्मचारीवार समीक्षा की जायेगी। प्रधान कार्यालय के परिपत्र सी-42/वसूली/2012-13 दि0 20.07.2012 में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यथा आवश्यक बकायेदारों पर 95-क की कार्यवाही कराकर वसूली सुनिश्चित की जाय।

7. विशेषतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि शाखा की वसूली करते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाय कि ऋण की वसूली, योजना की प्रकृति के अनुसार हो जाय जैसे लघु सिंचाई योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना तथा उद्यानीकरण योजना के अन्तर्गत फसलो की उपज एवं विपणन (Marketing) के समय को ध्यान में रखते हुए तकाज़े की कार्यवाही अग्रिम रूप से सुनिश्चित करें। इसी प्रकार डेयरी/पशु-पालन,